


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1454 / 2015..... जिला : जयपुर
 मैसर्स बालाजी लाईफ स्टाईल टैक्नॉनोली प्रा.लि.जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचन, राजस्थान
 वृत- प्रथम, जयपुर व अपीलीय अधिकारी-तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21.09.2015	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ श्री सुनील शर्मा, सदस्य श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री पंकज घीया, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी-तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचन, राजस्थान वृत- प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.06.2015, जो अधिनियम की धारा 24, 25 55 एवं 61 के तहत निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिये पारित किया गया है, में विवादित मांग राशि रु. 1,58,58,200/- के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष रोक (स्थगन) आवदेन पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्होंने रु. 1,58,58,200/- में से रु. 95,24,390/- पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष रु. 63,33,810/- पर स्थगन प्रदान नहीं किया है। अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशि रु 63,33,810/- स्थगित करने का निवेदन किया।</p> <p>उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशि रु. 1,58,58,200/- में से रु. 95,24,390/- पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष रु. 63,33,810/- पर स्थगन प्रदान नहीं किया है, अवशेष राशि रु. 63,33,810/- पर स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2015 में अंकित नहीं किया है। लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली योग्य राशि रु. 63,33,810/- की वसूली पर कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर</p>	


 21.9.2015



